बिहार सरकार
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक – प06–ज0वि0प्र0–13/05 – 4651 खाद्य, पटना/दिनांक – 31.12.07

प्रेषक,

एस. शिवकुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का शत प्रतिशत उठाव के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए बी. पी. एल. एवं अन्त्योदय अन्न योजना संचालित की जाती है । इसके अतिरिक्त अनाश्रय वृद्धों के लिए अन्नपूर्णा संचालित की जाती है ।

इन योजनाओं के अधीन आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्नों के उठाव की समीक्षा की गई । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बी. पी. एल. योजना के अधीन खाद्यान्नों का उठाव अत्यन्त ही निराशाजनक है । इस योजना के अन्तर्गत गेहूँ का उठाव लगभग 50 प्रतिशत है और चावल का उठाव अत्यन्त ही कम है । इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों के लिए पूर्ण आवंटन रहने के बावजूद शत प्रतिशत उठाव नही होने से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा से वंचित होना पड रहा है । अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना में भी शत प्रतिशत उठाव नही हो रहा है जो संतोषजनक स्थिति नही है ।

उल्लेखनीय है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का अनुश्रवण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वाद संख्या पी.यू.सी.एल. 196/2000 में की जाती है । इसके बावजूद आवंटित खाद्यान्न का पूर्ण उठाव नही होना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन है । अतएव जिला प्रशासन का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह अन्त्योदय, अन्नपूर्णा के साथ ही बी. पी. एल. योजना के अधीन भी खाद्यान्न का शत प्रतिशत उठाव हो इसके लिए आवश्यक है कि :–

(i) प्रत्येक आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता प्रत्येक माह की 10वीं तारीख के पूर्व बी. पी. एल., अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजनाओं के उन्हें आवंटित खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल दोनों का शत प्रतिशत उठाव हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा करें ।

(ii) आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी प्रत्येक माह आवंटन के अनुरूप बैंक ड्राफ्ट जमा करने वाले विक्रेताओं की सूची एवं शत प्रतिशत मूल्य जमा नही करने वाले विक्रेताओं की अलग–अलग सूची बैंक ड्राफ्ट जमा नही करने के कारणों सहित 20वीं तारीख तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करेंगे ।

(iii) जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रत्येक माह 20 से 25 तारीख के अन्दर समीक्षा कर शत प्रतिशत खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल दोनों के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जमा नही करने वाले विक्रेता से स्पष्टीकरण मांगी जाय तथा Consequently तीन माह या इससे अधिक अवधि तक बैंक ड्राफ्ट जमा नही किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधि–सम्मत् कार्रवाई की जाय ।

(iv) आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने क्षेत्राधिकार में कम से कम पांच पंचायतों के Rotation के आधार पर अपने समक्ष एक-एक दुकान से वितरण सुनिश्चित करें ।

(v) आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी का मुख्य दायित्व जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण है । अतएव अपने क्षेत्राधिकार में खाद्यान्नों का शत प्रतिशत विक्रेताओं द्वारा उठाव कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है । यदि शत प्रतिशत उठाव नही होता है तो निश्चित रूप से यह उनके कर्तव्य की लापरवाही मानी जायेगी ।

अतः जिस आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार में लगातार तीन माह तक कम से कम 75 प्रतिशत से कम खाद्यान्न का उठाव विशेष रूप से बी. पी. एल. योजना में होता है तो सम्बन्धित आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी के विरूद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी एक प्रतिवेदन एवं Performance Report विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजें ताकि विभाग के स्तर पर सम्यक् कार्रवाई की जा सके ।

(vi) जिला में प्रत्येक बी. पी. एल. परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना जिला प्रशासन का दायित्व है । अतएव जिला पदाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित कर आपूर्ति की समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि खाद्यान्नों का शत प्रतिशत उठाव हो तथा इसके अभाव में किसी भी बी. पी. एल. परिवार को लक्षित जन वितरण प्रणाली की योजनाओं के लाभ से वंचित नही होना पड़े ।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय तथा उठाव सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन एवं प्रपत्र "सी" में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निश्चित रूप से प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को भेजी जाय ।

विश्वासभाजन,

(एस. शिवकुमार)
सरकार के सचिव ।